रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1972/माघ 12, 1893
No 43] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1972/MAGHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1972

G.S.R. 66(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Indian Emigration Rules, 1923, were published as required by sub-section (1) of section 24 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) at page 1029 of the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 30th October, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No G.S.R. 1648 dated the 30th October, 1971, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 30th November, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 30th October, 1971;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 24 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1923, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Emigration (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Emigration Rules, 1923, for rule 69, the following rule shall be substituted, namely:—

"69. Rules 62 to 68-A shall apply to the areas falling within the jurisdictions of the Protectors at Bombay, Madras and Calcutta."

[No. V.III/401/13/69.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 66(अ).—भारत सरकार के असाधारण राजपत्र, भाग—2, खण्ड—3,उपखण्ड (1) दिनांक 30—10—1971 के पृष्ठ 1029 पर, भारत उत्प्रवास नियम 1923 में और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1648 दिनांक 30—10—1971 के अन्तर्गत कुछ नियमों का मसविदा प्रकाशित किया गया था, जैसा कि उत्प्रवास अधिनियम 1922 (1922 का 7) के खण्ड 24 के उपखंड (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है जिनके अधीन उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए थे जो उनसे प्रभावित होने वाले हों ;

और उक्त राजपत्र 30 अक्तूबर 1971 को जनता को उपलब्ध किया गया था ;

और उक्त मसविदे के सम्बन्ध में जनता से कोई सुझाव अथवा आपत्तियां प्राप्त नहीं हुईं थीं,

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास नियम 1923 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) नियम 1972 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय उत्प्रवास नियम 1923 में, नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित नियम लिख दिया जायेगा, यथा :—

"69. नियम 62 से 68 क तक, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के संरक्षकों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षत्रों पर लागू होंगे ।

[स० वी० तीन/401/13/69]

पी० एन० मेनन, सचिव ।

भारत सरकार

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972